न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 93/2022
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.......... भादो सिंह ....(वगैरह)
बनाम
द्वितीय पक्ष .... तेतरा मांझी ....(वगैरह)

19.7.22

वाद की कार्रवाई आवेदक प्रथम पक्ष (1) भादो सिंह पिता स्व० बंधन सिंह, ग्राम रोकेडेगा अम्बाटोली थाना पालकोट जिला गुमला के द्वारा अपने प्रधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल आवेदन मौजा रोकेडेगा के खाता सं0 70 प्लॉट सं0 886, रकबा 0.65 चौहदी उत्तर में जीरात टांड लेदु सिंह, दक्षिण में नीज, एवं प्लॉट सं0 889 रकबा 0.69 एकड़ भूमि चौहदी उत्तर में मंझोला जंगल लेदु सिंह, दक्षिण में मंझोला जंगल, प्रथम पक्ष के खतियानी जमीन में द्वितीय पक्ष (1) तेतरा मांझी पिता स्व० जतरू मांझी (2) पुनी देवी पति तेतरा मांझी (3) लालदेव मांझी पिता तेतरा मांझी सभी ग्राम रोकेडेगा पो० लोटवा थाना पालकोट जिला गुमला, के द्वारा उक्त भूमि में जबरजस्ती खेती करने के लिए जोत कोड कर दिये है मना करने पर जान से मारने की धमकी को लेकर उभय पक्षो के बीच विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है । थाना प्रभारी पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि मौजा रोकेडेगा, थाना – पालकोट, जिला – गुमला के अन्दर आर0एस0 खाता न0 70 दीकु राम वो सुखदेव राम पेसरान फिकरो राम कौम रौतिया दर्ज है। आर0एस0 खाता नं0 70 का रसीद (मालगुजारी) मेरे पिता बंधन सिंह के नाम से कटता है। उपरोक्त जमीन को बंधन सिंह खेती बारी करते थे उनके मृत्यू के बाद के बाद उनके लड़के लोग खेती बारी करते आ रहे हैं। आवेदक खाता नं0 70, प्लॉट नं0 – 886, रकबा – 65 डी0 और प्लॉट नं0 – 889, रकबा 69 डी0 जमीन टांड़ को खेत बनाकर धान का खेती करते आ रहे है तो द्वितीय पक्ष के सदस्यगण आवेदक को करते है कि जमीन पर आवोगे तो जमीन पर मार के गाड़ देंगे। प्रथम पक्ष का जान का खतरा बना हुआ है। द्वितीय पक्ष के सदस्यों को जमीन पर किसी प्रकार को कोई हक नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त जमीन पर दफा 144 दं0प्र0से0 का कार्यवाही आरंभ किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियान की छायाप्रति।

2 सरकारी रसीद की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के कोई भी दाखिल लिखित जबाब एवं कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 अप्राप्त।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि वाद्गत भूमि खाता सं0 – 70 प्लॉट सं० – 886 रकबा – 0.65 एकड़ एवं प्लॉट सं० – 889 रकबा – 0.69 एकड़ से संबंधित है। वादग्त भूमि पर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः इस वाद को बिना किसी गुण–दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2026.01.06 12:23:09 +05:30
Location: 192.168.1.35